



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 17, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. मानसून सत्र 2026 के दौरान संसदीय कार्यप्रणाली.....	2
2. आईटीडीए (ITDAs) और आईटीडीपी (ITDPs) को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा	4
3. उत्तर प्रदेश में भूजल का हेक्सावर्लेट क्रोमियम प्रदूषण.....	6
4. सरकारी अनुबंध मूल्य वृद्धि के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)	7
5. महादायी नदी मोड़ और पर्यावरणीय चिंताएं	9
6. भारत में अवैतनिक घरेलू काम का लैंगिक विभाजन	11
7. परिसीमन और लोकसभा प्रतिनिधित्व का संघीय दुविधा.....	12
8. जनगणना 2027: डेटा गोपनीयता, स्व-गणना और गणना की चुनौतियाँ.....	14
9. मेघालय में रैट-होल कोयला खनन और पर्यावरणीय शासन	16
10. फर्जी सोशल मीडिया कंटेंट का मुकाबला करने के लिए सरकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs).....	18

1. मानसून सत्र 2026 के दौरान संसदीय कार्यप्रणाली

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **निम्न संसदीय उत्पादकता:** 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित मानसून सत्र में गंभीर व्यवधान देखे गए। लोकसभा ने केवल 17.5 घंटे काम किया, जो दो दशकों से अधिक समय में सबसे कम है, जबकि राज्यसभा ने लगभग 37.4 घंटे काम किया।
- **सीमित बहस के बीच पारित विधेयक:** काम के घंटे घटने के बावजूद, लोकसभा ने 12 विधेयक पारित किए, जिनमें से 11 उसी सत्र में पारित किए गए। अधिकांश को कुछ ही मिनटों में और ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई, जिससे विधायी जांच की गहराई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
- **प्रश्नकाल बुरी तरह प्रभावित:** लोकसभा ने केवल 9 मिनट के लिए प्रश्नकाल संचालित किया, जबकि राज्यसभा लगभग 2 घंटे ही इसका संचालन कर सकी। लोकसभा में केवल 1% और राज्यसभा में 6% तारांकित प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर मिल सके।

- **समिति की जांच में गिरावट:** 18वीं लोकसभा में पेश किए गए केवल 21% विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया था, जबकि 16वीं लोकसभा में यह 28% और 17वीं लोकसभा में 16% था। संसदीय समितियां प्रस्तावित कानूनों की विस्तृत और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच प्रदान करती हैं।
- **प्रमुख विधेयक और मुद्दे:** महत्वपूर्ण विधेयकों में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, राष्ट्रीय सम्मान, न्यायाधिकरणों, सहकारिता विकास, एमएसएमई, कराधान, खनिजों तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित संशोधन शामिल थे। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन पर तुलनात्मक रूप से अधिक चर्चा हुई।
- **दक्षता बनाम संसदीय जांच:** यह सत्र एक केंद्रीय लोकतांत्रिक दुविधा को उजागर करता है: विधायी उत्पादन की उच्च दर आवश्यक रूप से प्रभावी संसदीय कामकाज का संकेत नहीं देती है। बार-बार के व्यवधान, कम बहस और सीमित समिति परीक्षा पारदर्शिता और विधायी जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रश्नकाल (Question Hour):** संसदीय बैठक के दौरान वह समय जब सांसद सार्वजनिक महत्व और सरकार के कामकाज के मामलों पर मंत्रियों से सवाल पूछते हैं।
- **तारांकित प्रश्न (Starred Question):** ऐसा प्रश्न जिसके लिए सांसद मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।
- **संसदीय समिति (Parliamentary Committee):** विधेयकों, व्यय, नीतियों और अन्य मामलों की अधिक विस्तार से जांच करने के लिए गठित सांसदों का एक छोटा निकाय।
- **ध्वनि मत (Voice Vote):** एक मतदान प्रक्रिया जिसमें सदस्य व्यक्तिगत वोट दर्ज किए बिना मौखिक रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति का संकेत देते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 79:** राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनने वाली संसद की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 85:** संवैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 93:** लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 105:** संसद में वाक्-स्वतंत्रता सहित संसदीय विशेषाधिकारों की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 107:** विधेयकों को पेश करने और उन्हें पारित करने से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 118:** प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 122:** प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर अदालतें आम तौर पर संसदीय कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकती हैं।

निष्कर्ष मानसून सत्र 2026 यह दर्शाता है कि विधायी उत्पादकता का मूल्यांकन केवल पारित विधेयकों की संख्या से नहीं, बल्कि बहस, जांच और जवाबदेही की गुणवत्ता से भी किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए समिति जांच को मजबूत करना, प्रश्नकाल की रक्षा करना और सरकार एवं विपक्ष दोनों द्वारा रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** अनुच्छेद 79, 85, 93, 105, 107, 118 और 122; प्रश्नकाल; तारांकित प्रश्न; संसदीय समितियां; विधायी प्रक्रिया।
- **मुख्य परीक्षा (Mains):** जीएस-॥ — संसदीय लोकतंत्र, विधायी जवाबदेही, संसदीय जांच, विपक्ष की भूमिका, व्यवधान और संस्थागत सुधार।

2. आईटीडीए (ITDAs) और आईटीडीपी (ITDPs) को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **नया सुधार रोडमैप:** 15 अगस्त 2026 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास कार्यक्रमों के अंतिम छोर तक वितरण में सुधार के उद्देश्य से परिचालन दिशानिर्देशों के साथ आईटीडीए और आईटीडीपी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा जारी किया। यह अभ्यास जनजातीय विकास संस्थानों के परामर्श और क्षेत्रीय स्तर के मूल्यांकनों पर आधारित था।
- **आईटीडीए/आईटीडीपी की भूमिका:** एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियां (ITDAs) और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं (ITDPs) जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति विकास कार्यक्रमों को लागू करने और सरकारी हस्तक्षेपों का समन्वय करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्तर के तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, आईटीडीपी जनजातीय उप-योजना दृष्टिकोण के तहत केंद्रित जनजातीय विकास के लिए एक संस्थागत रणनीति के रूप में उभरे।
- **साक्ष्य-आधारित संस्थागत सुधार:** यह ढांचा योजना, अभिसरण (convergence), डिजिटल गवर्नेंस, निगरानी और क्षमता निर्माण जैसे संस्थागत क्षेत्रों को कवर करने वाली एक सामान्य मूल्यांकन पद्धति पेश करता है। संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे कमियों की पहचान करें और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रदर्शन सुधार रोडमैप तैयार करें।
- **अभिसरण और परिणाम-आधारित शासन:** यह ढांचा अलग-थलग कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से काम करने के बजाय योजनाओं और विभागों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। यह महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) और महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) से सबक लेते हुए, रीयल-टाइम डेटा, रैंकिंग, परिणाम निगरानी और अधिकारों की संतृप्ति पर जोर देता है।
- **संस्थागत क्षमता पर ध्यान केंद्रित:** प्रस्तावित सुधारों में बेहतर फंड-फ्लो तंत्र, मजबूत तकनीकी जनशक्ति, शासी परिषद की नियमित बैठकें और पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की अधिक भागीदारी शामिल है। इसका उद्देश्य जनजातीय विकास संस्थानों को अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सक्षम बनाना है।
- **प्रमुख जनजातीय पहलों के साथ जुड़ाव:** सुधार संरचना 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (DAJGUA) और 'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN) के संदर्भ में महत्व प्राप्त करती है, जो जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच बुनियादी ढांचे, आवश्यक सेवाओं और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार करना चाहते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **आईटीडीए (ITDA):** एकीकृत जनजाति विकास एजेंसी, नामित क्षेत्रों में जनजातीय विकास हस्तक्षेपों के प्रशासन और समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र।
- **आईटीडीपी (ITDP):** एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, जो आमतौर पर महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति एकाग्रता वाले एक या अधिक विकास ब्लॉकों को कवर करती है।
- **अभिसरण (Convergence):** सामान्य विकास परिणामों को प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं, विभागों और संसाधनों का समन्वित कार्यान्वयन।
- **संतृप्ति दृष्टिकोण (Saturation Approach):** यह सुनिश्चित करना कि केवल एक सीमित अनुपात को लक्षित करने के बजाय सभी पात्र लाभार्थियों को इच्छित सरकारी सेवाएं या अधिकार प्राप्त हों।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 244(1):** पांचवीं अनुसूची द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करता है।
- **पांचवीं अनुसूची:** पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची क्षेत्रों के बाहर के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है। इसमें राज्यपाल, जनजाति सलाहकार परिषदों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 275(1):** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में सुधार के लिए केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान सक्षम बनाता है।
- **पेसा अधिनियम, 1996 (PESA Act):** संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज प्रावधानों का विस्तार करता है और स्थानीय स्व-शासन में ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत करता है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA):** पात्र अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और जनजातीय आजीविका एवं सामुदायिक संसाधन शासन के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

निष्कर्ष आईटीडीए और आईटीडीपी का सुदृढ़ीकरण खंडित योजना कार्यान्वयन से हटकर संस्थान-नेतृत्व, डेटा-संचालित और परिणाम-उन्मुख जनजातीय विकास की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता पर्याप्त वित्त, तकनीकी क्षमता, प्रभावी अंतर-विभागीय अभिसरण और जनजातीय समुदायों तथा स्थानीय संस्थानों की सार्थक भागीदारी पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** आईटीडीए/आईटीडीपी, पांचवीं अनुसूची, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275(1), पेसा (PESA), एफआरए (FRA), डीएजेजीयूए (DAJGUA) और पीएम-जनमन (PM-JANMAN)।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** जनजातीय शासन, विकेंद्रीकरण, पेसा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** समावेशी विकास, जनजातीय आजीविका, संस्थागत क्षमता और अंतिम छोर तक सेवा वितरण।

3. उत्तर प्रदेश में भूजल का हेक्सावैलेंट क्रोमियम प्रदूषण

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **भूजल का औद्योगिक प्रदूषण:** उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल कथित तौर पर हेक्सावैलेंट क्रोमियम [Cr(VI)] से दूषित पाया गया है, जो दशकों के औद्योगिक कचरे के निपटान और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा हुआ है।
- **Cr(VI) क्यों महत्वपूर्ण है:** क्रोमियम विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होता है, विशेष रूप से Cr(III) और Cr(VI)। हेक्सावैलेंट क्रोमियम काफी अधिक विषैला होता है और इसे कार्सिनोजेनिक (कैंसरजनक) के रूप में पहचाना गया है, जिससे पेयजल स्रोतों का संदूषण एक गंभीर जन-स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है।
- **औद्योगिक स्रोत:** क्रोमियम यौगिकों का उपयोग धातु चढ़ाने (मेटल प्लेटिंग), टैनिंग (चमड़ा शोधन), वर्णक (पिगमेंट) और अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं जैसी गतिविधियों में किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्टों के अनुचित निपटान से प्रदूषक मिट्टी के माध्यम से भूजल और एक्विफर (जलभृत) में जा सकते हैं।
- **दीर्घकालिक और छिपा हुआ जोखिम:** भूजल प्रदूषण से निपटना विशेष रूप से कठिन है क्योंकि प्रदूषक भूमिगत रह सकते हैं और जलभृत प्रणालियों के माध्यम से फैल सकते हैं। दृश्यमान सतह प्रदूषण के विपरीत, संदूषण तब तक अनदेखा रह सकता है जब तक कि यह पीने के पानी के स्रोतों को प्रभावित न करे।
- **स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रभाव:** Cr(VI) का दीर्घकालिक संपर्क गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। दूषित हैंडपंपों और कुओं पर निर्भर समुदाय अधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से जहां वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल स्रोत अनुपलब्ध हैं। यह मुद्दा नियमित निगरानी और स्रोत-आधारित प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
- **उपचार/सुधार की आवश्यकता:** प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रदूषक की पहचान, दूषित स्थलों की रोकथाम, वैज्ञानिक भूजल मानचित्रण, औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रदूषित जलभृतों के उपचार (remediation) की आवश्यकता होती है। दशकों के प्रदूषण के बाद गंभीर रूप से दूषित भूजल को बहाल करने का प्रयास करने की तुलना में रोकथाम आम तौर पर बेहतर होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **हेक्सावैलेंट क्रोमियम [Cr(VI)]:** +6 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम; एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रूप जो महत्वपूर्ण विषाक्त और कार्सिनोजेनिक जोखिमों से जुड़ा हुआ है।
- **भूजल (Groundwater):** मिट्टी के छिद्रों, दरारों और पारगम्य भूगर्भीय संरचनाओं में पृथ्वी की सतह के नीचे जमा पानी।
- **एक्विफर / जलभृत (Aquifer):** एक भूगर्भीय संरचना जो भूजल को जमा करने और स्थानांतरित करने में सक्षम होती है।
- **औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Effluent):** औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला तरल कचरा जिसमें रासायनिक प्रदूषक हो सकते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए की है।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार को नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनाता है।
- **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता और प्रदूषक-उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने तथा खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में क्रोमियम संकट यह दर्शाता है कि कैसे अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण साझा संसाधन, भूजल को दीर्घकालिक सार्वजनिक-स्वास्थ्य देनदारी (आफत) में बदल सकता है। टिकाऊ भूजल शासन के लिए सख्त प्रवर्तन, निरंतर निगरानी, वैज्ञानिक उपचार और विश्वसनीय वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति आवश्यक हैं।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** Cr(VI), भूजल, जलभृत (aquifer), औद्योगिक अपशिष्ट, जल अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अनुच्छेद 21, 48A और 51A(g)।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** पर्यावरण प्रदूषण, भूजल प्रबंधन, औद्योगीकरण और जन-स्वास्थ्य, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ संसाधन शासन।

4. सरकारी अनुबंध मूल्य वृद्धि के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **PPI की ओर बदलाव:** वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वे भविष्य के सरकारी खरीद और बुनियादी ढांचा अनुबंधों में मूल्य-वृद्धि (price-escalation) और समायोजन खंडों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) का उपयोग करने पर विचार करें। यह एक ऐसे सूचकांक की ओर बढ़ने को दर्शाता है जो उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को अधिक सटीकता से पकड़ता है।
- **भारत का नया PPI ढांचा:** DPIIT के तहत आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने संशोधित WPI श्रृंखला के साथ जून 2026 में आधार वर्ष 2022-23 के साथ नई PPI श्रृंखला पेश की। इस नए सांख्यिकीय ढांचे में आउटपुट पीपीआई (Output PPI), एक ट्रायल इनपुट पीपीआई (Trial Input PPI) और सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक (Service Producer Price Indices) शामिल हैं।
- **WPI के बजाय PPI क्यों?:** PPI उत्पादकों द्वारा उनके आउटपुट के लिए प्राप्त कीमतों में बदलाव को मापता है और उत्पादक-स्तरीय मूल्य परिवर्तनों का अधिक प्रत्यक्ष माप प्रदान कर सकता है। आधिकारिक पीपीआई कार्य समूह ने नोट किया कि WPI में दोहरी/बहु-गणना (multiple counting) शामिल हो सकती है क्योंकि

मध्यवर्ती लेनदेन उत्पादन के विभिन्न चरणों में दर्ज किए जा सकते हैं। यह कुछ संविदात्मक अनुप्रयोगों के लिए इसकी उपयुक्तता को प्रभावित कर सकता है।

- **सरकारी अनुबंध में मूल्य वृद्धि:** मूल्य-वृद्धि खंड (Price-escalation clauses) दीर्घकालिक परियोजनाओं के दौरान इनपुट लागत में तीव्र परिवर्तनों से ठेकेदारों की रक्षा करते हैं। वृद्धि को एक उपयुक्त मूल्य सूचकांक से जोड़ने से सरकार और ठेकेदार के बीच मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों को अधिक पारदर्शी रूप से वितरित किया जा सकता है।
- **कवरेज और आधुनिकीकरण:** नया PPI ढांचा आउटपुट पीपीआई के माध्यम से कृषि, खनन, विनिर्माण और बिजली सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि सेवा पीपीआई चयनित सेवाओं को कवर करते हैं। विनिर्माण के लिए प्रयोगात्मक रूप से ट्रायल इनपुट पीपीआई संकलित किया जा रहा है।
- **व्यापक आर्थिक महत्व:** PPI को अपनाने से उत्पादक स्तर की मुद्रास्फीति के माप में सुधार हो सकता है, साक्ष्य-आधारित अनुबंध प्रबंधन मजबूत हो सकता है और भारत के मूल्य आंकड़ों को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के करीब लाया जा सकता है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता व्यापक क्षेत्रीय कवरेज, विश्वसनीय डेटा संग्रह और सुसंगत पद्धति पर निर्भर करेगी।

आवश्यक परिभाषाएं

- **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):** एक सूचकांक जो घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्राप्त कीमतों में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है।
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI):** थोक/बिक्री के बड़े सौदों के चरण में वस्तुओं की कीमतों की आवाजाही को ट्रैक करने वाला एक सूचकांक।
- **मूल्य वृद्धि खंड (Price Escalation Clause):** एक संविदात्मक प्रावधान जो निष्पादन के दौरान निर्दिष्ट इनपुट कीमतों में परिवर्तन होने पर अनुबंध मूल्य को समायोजित करने की अनुमति देता है।
- **आधार वर्ष (Base Year):** एक संदर्भ वर्ष जिसकी मूल्य संरचना का उपयोग किसी सूचकांक की गणना करते समय तुलना के लिए किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संकलन अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008):** सरकार द्वारा निर्दिष्ट आर्थिक और औद्योगिक आंकड़ों के संग्रह के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **सरकारी खरीद ढांचा (Government Procurement Framework):** सार्वजनिक अनुबंधों में मूल्य-समायोजन प्रावधान किसी विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान के बजाय मुख्य रूप से लागू खरीद नियमों, निविदा शर्तों और संविदात्मक शर्तों के माध्यम से शासित होते हैं।
- **अनुच्छेद 282:** संघ या राज्यों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान देने में सक्षम बनाता है, जो लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अधीन, सार्वजनिक व्यय के लिए एक व्यापक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष PPI-आधारित मूल्य वृद्धि की ओर बढ़ना भारत के मूल्य-सांख्यिकी ढांचे के आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक सरकारी अनुबंधों में जोखिम आवंटन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्पादक-केंद्रित सूचकांक संविदात्मक समायोजनों को उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक आर्थिक स्थितियों को अधिक सटीकता से दर्शाने वाला बना सकता है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** पीपीआई (PPI), डब्ल्यूपीआई (WPI), सीपीआई (CPI), आधार वर्ष 2022-23, आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई, सर्विस पीपीआई, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, DPIIT।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** मुद्रास्फीति मापन, सार्वजनिक खरीद, आर्थिक सांख्यिकी, बुनियादी ढांचा अनुबंध, जोखिम-साझाकरण और संस्थागत सुधार।

5. महादायी नदी मोड़ और पर्यावरणीय चिंताएं

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **महादायी नदी विवाद:** महादायी, जिसे मांडवी/म्हादेई के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र द्वारा साझा की जाने वाली एक अंतर-राज्यीय नदी है। इसके पानी के बंटवारे और उपयोग को लेकर विवाद के निपटारे के लिए 2010 में महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। न्यायाधिकरण ने 2018 में अपनी रिपोर्ट और निर्णय दिया।
- **कलसा-भंडूरी परियोजना:** कर्नाटक ने प्राथमिक रूप से उत्तर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कलसा-भंडूरी परियोजना के माध्यम से महादायी की सहायक नदियों के पानी को मोड़ने का प्रस्ताव दिया है। गोवा ने निचले प्रवाह, पेयजल सुरक्षा और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभावों का हवाला देते हुए इस मोड़ का विरोध किया है।
- **पर्यावरणीय मंजूरी का मुद्दा:** केंद्र सरकार ने कहा है कि विचाराधीन परियोजनाओं के लिए महादायी नदी के पानी को मोड़ने हेतु पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance - EC) मांगने वाला कर्नाटक का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए, वर्तमान मुद्दा अंतर-राज्यीय जल आवंटन और किसी भी प्रस्तावित मोड़ के पर्यावरणीय परिणामों दोनों से संबंधित है।
- **पारिस्थितिकी महत्व:** महादायी बेसिन जंगलों, मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का समर्थन करता है, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों में। नदी के प्रवाह में परिवर्तन निचले हिस्से के पारिस्थितिक तंत्र, भूजल पुनर्भरण, आर्द्रभूमि और मीठे पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, बड़े हस्तक्षेपों से पहले बेसिन-स्तरीय पारिस्थितिकी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।
- **संचयी प्रभाव आकलन (CIA):** एक संचयी प्रभाव आकलन (Cumulative Impact Assessment - CIA) प्रत्येक परियोजना का अलग से मूल्यांकन करने के बजाय एक नदी बेसिन के भीतर कई परियोजनाओं के संयुक्त पर्यावरणीय परिणामों की जांच करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बेसिनों के लिए, ऐसा मूल्यांकन वहन क्षमता (carrying capacity) और निचले प्रवाह पर पड़ने वाले प्रभावों की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रदान कर सकता है।
- **विकास और पारिस्थितिकी में संतुलन:** यह विवाद पेयजल आवश्यकताओं, अंतर-राज्यीय जल अधिकारों और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है। इस तरह के संघर्षों को हल करने के लिए वैज्ञानिक जलविज्ञान डेटा, पारदर्शी पर्यावरणीय मूल्यांकन, निचले प्रवाह की आवश्यकताएं और सहकारी संघवाद आवश्यक हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पर्यावरणीय मंजूरी (EC):** लागू पर्यावरण-मंजूरी ढांचे के तहत कवर की गई गतिविधियों को करने से पहले निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए आवश्यक नियामक स्वीकृति।
- **संचयी प्रभाव आकलन (CIA):** एक परिभाषित भौगोलिक या पारिस्थितिक प्रणाली के भीतर कई मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों के संयुक्त पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन।
- **अंतर-राज्यीय नदी (Inter-State River):** एक ऐसी नदी जिसका बेसिन या मार्ग एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, जिससे इसके उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धी दावे उत्पन्न होते हैं।
- **पारिस्थितिक प्रवाह (E-flow):** नदी के पारिस्थितिक तंत्र और उनके आश्रित समुदायों को बनाए रखने के लिए आवश्यक मीठे पानी के प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है और ऐसे विवादों पर अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। धारा 4 वैधानिक शर्तें पूरी होने पर जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करती है।
- **EIA अधिसूचना, 2006:** प्रासंगिक नदी-घाटी परियोजनाओं सहित निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन शामिल हैं।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** EIA ढांचे के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है और केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 48A और 51A(g):** पहला राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जबकि दूसरा नागरिकों पर एक समान पर्यावरणीय कर्तव्य डालता है।

निष्कर्ष महादायी मुद्दा यह दर्शाता है कि नदी-जल विवादों को केवल जल आवंटन के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। जलवैज्ञानिक स्थिरता, पारिस्थितिक प्रवाह, पर्यावरण मंजूरी और निचले प्रवाह के अधिकारों को एक एकीकृत नदी-बेसिन दृष्टिकोण का हिस्सा बनना चाहिए। विश्वसनीय वैज्ञानिक मूल्यांकन द्वारा समर्थित सहकारी संघवाद अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** महादायी/मांडवी/म्हादेई, कलसा-भंडूरी परियोजना, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, EIA अधिसूचना 2006, पारिस्थितिक प्रवाह (E-flow) और सीआईए (CIA)।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** अंतर-राज्यीय जल विवाद, संघवाद और सहकारी संघवाद।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** पश्चिमी घाट, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), नदी-बेसिन प्रबंधन, जैव विविधता और सतत विकास।

6. भारत में अवैतनिक घरेलू काम का लैंगिक विभाजन

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- शुरुआती लैंगिक अनुकूलन (Early Gender Conditioning):** टाइम यूज़ सर्वे (Time Use Survey) पर आधारित हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि अवैतनिक घरेलू काम में लैंगिक अंतर बचपन से ही शुरू हो जाता है। लड़कियां लगभग 10 वर्ष की आयु से घरेलू कामों पर अधिक समय बिताती हैं, जबकि लड़के ऐसी गतिविधियों के लिए काफी कम समय देते हैं।
- उम्र के साथ तीव्र वृद्धि:** किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान महिलाओं द्वारा घरेलू काम में बिताया जाने वाला समय बढ़ता जाता है, जो 30 वर्ष की आयु के आसपास प्रतिदिन लगभग 460 मिनट तक पहुंच जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे कामकाजी उम्र के मुख्य वर्षों के दौरान घरेलू जिम्मेदारियां जमा हो सकती हैं।
- देखभाल के काम का असमान वितरण:** आधिकारिक टाइम यूज़ सर्वे 2024 में पाया गया कि अवैतनिक घरेलू सेवाओं में भाग लेने वाली महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन 289 मिनट बिताए, जबकि पुरुषों के लिए यह केवल 88 मिनट था। महिलाओं ने परिवार के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल में भी अधिक समय बिताया।
- शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव:** घरेलू जिम्मेदारियों का शुरुआती सामना लड़कियों के अवकाश, सीखने और कौशल-विकास के समय को कम कर सकता है। वयस्कता में, अत्यधिक अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी, करियर की प्रगति, उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
- अदृश्य आर्थिक योगदान:** अवैतनिक खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, पानी लाना और अन्य घरेलू गतिविधियां अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती हैं, लेकिन आम तौर पर पारंपरिक जीडीपी (GDP) गणना से बाहर होती हैं। इसलिए टाइम यूज़ सर्वे देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy) और समय के लैंगिक आवंटन को प्रकट करने में मदद करते हैं।
- नीतिगत चुनौती:** लैंगिक समानता के लिए केवल महिला रोजगार बढ़ाने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए अवैतनिक देखभाल कार्य के पुनर्वितरण, सुलभ बाल देखभाल (childcare), बेहतर बुनियादी सेवाओं, लचीले कार्यस्थलों, व्यावहारिक व्यवहार परिवर्तन और घरेलू जिम्मेदारियों में पुरुषों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- अवैतनिक घरेलू काम (Unpaid Domestic Work):** खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, खरीदारी और घर का रखरखाव जैसी गतिविधियां जो प्रत्यक्ष मौद्रिक पारिश्रमिक के बिना की जाती हैं।
- अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work):** बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों या परिवार के अन्य सदस्यों को देखभाल या सहायता प्रदान करने वाली अवैतनिक गतिविधियां।
- समय की गरीबी (Time Poverty):** एक ऐसी स्थिति जिसमें अत्यधिक समय की प्रतिबद्धताएं, विशेष रूप से अवैतनिक काम, शिक्षा, रोजगार, अवकाश या व्यक्तिगत विकास के लिए अपर्याप्त समय छोड़ती हैं।
- देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy):** घरों और समुदायों को देखभाल प्रदान करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक भुगतान वाली और अवैतनिक गतिविधियों को शामिल करने वाली आर्थिक और सामाजिक प्रणाली।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15:** लिंग सहित अन्य आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है और महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 39(d):** राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 42:** राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(e):** नागरिकों से महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आह्वान करता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020):** सामाजिक-सुरक्षा प्रावधानों को समेकित करती है और इसमें मातृत्व लाभ, नर्सिंग ब्रेक और शिशुगृह (crèche) सुविधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

निष्कर्ष अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य का असमान वितरण केवल एक घरेलू मुद्दा नहीं है; यह एक विकास, लैंगिक समानता और आर्थिक भागीदारी का मुद्दा है। भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता को सार्थक और समावेशी मानव विकास में बदलने के लिए अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानना, कम करना और पुनर्वितरित करना आवश्यक है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** टाइम यूज़ सर्वे, अवैतनिक घरेलू काम, अवैतनिक देखभाल, समय की गरीबी (time poverty), देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy), अनुच्छेद 14, 15, 16, 39(d), 42 और 51A(e)।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-I (Mains GS-I):** महिलाएँ, लैंगिक भूमिकाएँ और सामाजिक सशक्तिकरण।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कल्याणकारी नीतियाँ और सामाजिक न्याय।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** महिला श्रम-बल भागीदारी, मानव पूंजी और समावेशी आर्थिक विकास।

7. परिसीमन और लोकसभा प्रतिनिधित्व का संघीय दुविधा

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **तमिलनाडु का प्रस्ताव:** तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों और उनके राज्यवार वितरण को बनाए रखा जाए, साथ ही वर्तमान 2.2:1 लोकसभा-राज्यसभा अनुपात को भी बरकरार रखा जाए। इसने भविष्य के परिसीमन अभ्यास पर शर्त लगाए बिना 2029 से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की भी मांग की है।

- **परिसीमन क्या है?:** परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य भौगोलिक और प्रशासनिक कारकों पर विचार करते हुए मोटे तौर पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- **जनसंख्या बनाम संघीय संतुलन:** जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का संवैधानिक सिद्धांत एक दुविधा पैदा करता है। जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण में अधिक सफलता हासिल की है, यदि सीटों का पुनर्वितरण केवल वर्तमान जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, तो वे सापेक्ष संसदीय प्रतिनिधित्व खो सकते हैं। इसके विपरीत, सीटों को लगातार फ्रीज (स्थगित) रखने से अलग-अलग सांसदों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।
- **संवैधानिक रोक (Constitutional Freeze):** 42वें संविधान संशोधन (1976) ने 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को फ्रीज कर दिया था। 84वें संशोधन (2001) ने इस रोक को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, रोक के बाद परिसीमन लोकतांत्रिक समानता, संघवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
- **2026 परिसीमन प्रस्ताव:** संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 ने लोकसभा की अधिकतम संवैधानिक संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल हैं। हालांकि, आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक लोकसभा में गिर गया। वर्तमान निर्वाचित संख्या में 50% की वृद्धि से राज्यसभा का सापेक्ष आकार भी बदल जाएगा।
- **आगे का रास्ता:** एक संतुलित दृष्टिकोण को "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के साथ संघीय समानता को जोड़ना चाहिए। किसी भी भविष्य के परिसीमन में व्यापक राजनीतिक परामर्श, पारदर्शी मानदंड, संघीय प्रतिनिधित्व की सुरक्षा और सार्थक संसदीय बहस के लिए पर्याप्त संस्थागत क्षमता शामिल होनी चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **परिसीमन (Delimitation):** जनसंख्या में बदलाव के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्नियोजन और, जहाँ संवैधानिक रूप से अधिकृत हो, सीटों का आवंटन।
- **एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य (One Person, One Vote, One Value):** लोकतांत्रिक सिद्धांत कि प्रतिनिधित्व निर्धारित करने में प्रत्येक नागरिक के वोट का व्यापक रूप से समान मूल्य होना चाहिए।
- **संघवाद (Federalism):** एक ऐसी प्रणाली जिसमें संवैधानिक शक्तियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वितरित किए जाते हैं।
- **प्रतिनिधि समानता (Representative Equality):** यह सिद्धांत कि निर्वाचन क्षेत्रों में तर्कसंगत रूप से तुलनीय जनसंख्या होनी चाहिए ताकि नागरिकों को व्यापक रूप से समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 81:** लोकसभा की संरचना और राज्यों के बीच सीटों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 82:** संवैधानिक प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के समायोजन और राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान करता है।

- **अनुच्छेद 170:** राज्य विधानसभाओं की संरचना, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और उनके पुनर्नियोजन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 330 और 332:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
- **106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका कार्यान्वयन संबंधित जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है।
- **परिसीमन आयोग:** संसद के एक अधिनियम के तहत गठित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय जो परिसीमन का कार्य करता है। इसके आदेश अंतिम होते हैं और सामान्य आधार पर इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष परिसीमन केवल एक गणितीय अभ्यास नहीं है; यह राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन, लोकतांत्रिक समानता और भारतीय संघवाद के कामकाज को प्रभावित करता है। चुनौती यह है कि सफलतापूर्वक जनसंख्या स्थिरीकरण करने वाले राज्यों को दंडित किए बिना प्रतिनिधित्व में असमानताओं को दूर किया जाए। इसलिए एक आम सहमति-संचालित और संवैधानिक रूप से आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** अनुच्छेद 81, 82, 170, 330, 332; 42वां, 84वां और 106वां संविधान संशोधन; परिसीमन आयोग; 1971 की जनगणना; लोकसभा-राज्यसभा की संरचना।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** परिसीमन, संघवाद, चुनावी सुधार, प्रतिनिधित्व, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और केंद्र-राज्य संबंध।

8. जनगणना 2027: डेटा गोपनीयता, स्व-गणना और गणना की चुनौतियाँ

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **जनगणना 2027 और नए डेटा आयाम:** जनगणना 2027 अभ्यास 2011 की जनगणना की तुलना में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला एकत्र करेगा, जिसमें घरेलू विशेषताओं, प्रवास, शिक्षा, रोजगार और अन्य जनसंख्या विशेषताओं से संबंधित विवरण शामिल हैं। हाल के वर्षों में प्रमुख संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए यह अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- **जनगणना डेटा की गोपनीयता:** जनगणना अधिकारियों के अनुसार, गणना के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षित है। प्रगणक (enumerators) बैंक-खाता विवरण जैसी निजी या गोपनीय वित्तीय जानकारी नहीं मांग रहे हैं। पहचान संबंधी जानकारी केवल तभी एकत्र की जाएगी जहां वह उपलब्ध हो और प्रश्नावली के तहत आवश्यक हो।
- **स्व-गणना (Self-Enumeration):** जनगणना 2027 स्व-गणना की शुरुआत करती है, जिससे पात्र निवासियों को घर-घर गणना चरण से पहले एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की अनुमति

मिलती है। यह भागीदारी में सुधार कर सकता है, प्रगणक के बोझ को कम कर सकता है और तेजी से डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान कर सकता है, खासकर जहां भौतिक पहुंच कठिन हो।

- **भौगोलिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ:** पहाड़ी, सीमावर्ती, जनजातीय और बर्फ से ढके क्षेत्रों में गणना करने में तार्किक (logistical) कठिनाइयाँ आती हैं। मौसमी प्रवास और घुमंतू आबादी जनसंख्या की गिनती को और जटिल बनाते हैं। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, बिखरी हुई बस्तियों और कठिन भूभाग के लिए विशेष गणना रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- **सुशासन के लिए महत्व:** जनगणना डेटा सार्वजनिक संसाधनों के नियोजन और आवंटन का आधार बनता है। जनसंख्या वितरण, प्रवास, आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विशेषताओं पर सटीक जानकारी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कल्याणकारी वितरण में सुधार कर सकती है।
- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग अवसर और जोखिम दोनों पैदा करता है। नागरिकों को व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के धोखेबाज़ प्रयासों से आधिकारिक जनगणना प्रक्रिया में अंतर करना चाहिए। इसलिए डिजिटल गणना में विश्वास बनाए रखने के लिए डेटा सुरक्षा, प्रमाणीकरण और जन जागरूकता आवश्यक है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **जनगणना (Census):** निर्दिष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के संग्रह के साथ-साथ जनसंख्या की एक व्यवस्थित गणना।
- **स्व-गणना (Self-Enumeration):** एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार पारंपरिक प्रगणक-आधारित गणना से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी जनगणना की जानकारी प्रदान करते हैं।
- **मकान सूचीकरण (House Listing):** जनगणना संचालन का प्रारंभिक चरण जिसमें आवासीय संरचनाओं और घरों की सूची बनाना और निर्दिष्ट आवास संबंधी जानकारी एकत्र करना शामिल है।
- **घुमंतू आबादी (Nomadic Population):** वे समुदाय जो किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने के बजाय समय-समय पर स्थानांतरित होते रहते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जनगणना अधिनियम, 1948:** भारत में जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है और इसमें जनगणना संचालन, शामिल व्यक्तियों के कर्तव्यों और जनगणना रिकॉर्ड की गोपनीयता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 246:** सातवीं अनुसूची के साथ पढ़ा जाने पर, संघ सूची के माध्यम से जनगणना और जनसंख्या सांख्यिकी को संघ के दायरे में रखता है।
- **संघ सूची, प्रविष्टि 69:** विशेष रूप से संघ सूची में मामलों के उद्देश्य से जनगणना और सांख्यिकी से संबंधित है।
- **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** राज्य के अभ्यासों के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी को संवैधानिक निजता के सिद्धांतों के अनुरूप निपटाया जाना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

निष्कर्ष जनगणना 2027 तकनीक-सक्षम, व्यापक और अधिक उत्तरदायी जनसंख्या गणना की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सफलता डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, संवेदनशील और गतिशील आबादी के सटीक समावेशन और प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय स्तर की गणना के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** जनगणना अधिनियम 1948; जनगणना; स्व-गणना; मकान सूचीकरण; संघ सूची प्रविष्टि 69; अनुच्छेद 246; अनुच्छेद 21; जनसांख्यिकीय डेटा।
- मुख्य परीक्षा जीएस-I (Mains GS-I):** जनसंख्या और जनसांख्यिकीय रुझान, प्रवास और क्षेत्रीय असमानताएं।
- मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** निजता, सुशासन, डिजिटल लोक प्रशासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण।
- मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा।

9. मेघालय में रैट-होल कोयला खनन और पर्यावरणीय शासन

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- खान बंद करने में नीतिगत अंतर:** उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति ने छोड़ी गई या अवैध रूप से संचालित रैट-होल कोयला खदानों को बंद करने और सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक नीति अपनाने में मेघालय की देरी को चिन्हित किया है। एक स्पष्ट बंदी (closure) तंत्र की अनुपस्थिति श्रमिकों, पशुधनों और स्थानीय समुदायों के लिए निरंतर जोखिम पैदा करती है।
- रैट-होल खनन की प्रकृति:** रैट-होल खनन में अत्यधिक संकीर्ण और अक्सर कम हवादार सुरंगों के माध्यम से कोयले का निष्कर्षण शामिल होता है, जहां श्रमिक कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रेंगते या संकरे रास्तों से गुजरते हैं। यह विशेष रूप से मेघालय के कोयला धारित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।
- गंभीर सुरक्षा जोखिम:** गहरी और अस्थिर भूमिगत सुरंगें, अपर्याप्त वेंटिलेशन, बाढ़ और सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे की कमी ऐसी खदानों को अत्यधिक खतरनाक बनाती हैं। अतीत की दुर्घटनाओं और मौतों ने अनियंत्रित खनन की मानवीय कीमत को उजागर किया है।
- पर्यावरणीय परिणाम:** अवैज्ञानिक कोयला खनन एसिड माइन ड्रेनेज (acid mine drainage), भूजल संदूषण, मृदा क्षरण, वनों की कटाई और नदियों तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। मेघालय का चूना पत्थर से समृद्ध और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र निचले प्रवाह के पारिस्थितिक प्रभावों को बढ़ा सकता है।
- खदान बंद करना और बहाली:** यह मुद्दा केवल अवैध खनन को रोकने तक सीमित नहीं है। प्रभावी शासन के लिए खदान सूची, वैज्ञानिक बंदी, बाड़ लगाना (fencing), पुनरुद्धार, भूमि बहाली, जल उपचार, श्रमिक पुनर्वास और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। इसलिए लंबित खदान-बंदी प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।
- शासन की चुनौती:** मेघालय का मामला पारंपरिक भूमि और संसाधन अधिकारों, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और नियामक देखरेख के बीच तनाव को दर्शाता है। टिकाऊ खनन के लिए राज्य सरकार, जिला

अधिकारियों, स्वायत्त परिषदों, प्रदूषण-नियंत्रण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **रैट-होल खनन (Rat-Hole Mining):** संकीर्ण सुरंगों या गड्ढों को शामिल करने वाली एक खनन विधि जो अक्सर पारंपरिक मशीनीकृत खनन के लिए बहुत छोटी होती है और जिसमें श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करने की आवश्यकता होती है।
- **एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage):** खनन के दौरान उजागर सल्फाइड युक्त खनिजों की ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया होने से उत्पन्न अम्लीय पानी, जो संभावित रूप से जहरीली धातुओं को घोल सकता है।
- **खान बंदी (Mine Closure):** खनन कार्यों की नियोजित समाप्ति जिसके बाद श्रमिक सुरक्षा, पर्यावरण बहाली, भूमि पुनरुद्धार और बंदी के बाद की निगरानी के उपाय किए जाते हैं।
- **खदान पुनरुद्धार (Mine Reclamation):** क्षतिग्रस्त खनन भूमि को एक स्थिर और पर्यावरणीय रूप से उपयोग योग्य स्थिति में बहाल करना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act):** भारत में खनिज विकास और खनन कार्यों के विनियमन के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** पर्यावरण क्षरण का कारण बनने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और पर्यावरणीय मानकों एवं सुरक्षा उपायों का समर्थन करता है।
- **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** नियामक तंत्र और प्रदूषण-नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** एनजीटी ने मेघालय में अवैज्ञानिक और खतरनाक कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **छठी अनुसूची:** मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के तहत शासित किया जाता है, जिसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों के पास भूमि और स्थानीय प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसलिए खनन शासन में संवैधानिक स्वायत्तता और पर्यावरण विनियमन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतरापृष्ठ (interface) शामिल है।

निष्कर्ष मेघालय रैट-होल खनन का मुद्दा यह दर्शाता है कि पर्यावरण शासन खनन पर रोक या निलंबन के साथ समाप्त नहीं हो सकता। वैज्ञानिक खदान बंदी, पारिस्थितिक बहाली, श्रमिक पुनर्वास और सख्त प्रवर्तन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक पारदर्शी, समयबद्ध बंदी नीति आजीविका की चिंताओं को पर्यावरण और सुरक्षा की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने में मदद कर सकती है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** रैट-होल खनन, एसिड माइन ड्रेनेज, खदान बंदी (mine closure), एमएमडीआर अधिनियम 1957, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनजीटी (NGT), छठी अनुसूची और स्वायत्त जिला परिषदें।

- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** पर्यावरण शासन, जनजातीय प्रशासन, संवैधानिक स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संस्थागत समन्वय।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** खनन, पर्यावरण क्षरण, व्यावसायिक सुरक्षा, सतत विकास और पारिस्थितिक बहाली।

10. फर्जी सोशल मीडिया कंटेंट का मुकाबला करने के लिए सरकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs)

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs):** सरकारी विभाग सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फर्जी, भ्रामक और गलत सामग्री की पहचान करने, सत्यापित करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल वातावरण में सरकारी संचार को मजबूत करना है।
- **मुख्य कार्य:** QRTs विभागीय नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्णयों और घोषणाओं से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री की लगातार निगरानी करेंगे। उनसे संदिग्ध दावों की जांच करने, आंतरिक रूप से समन्वय करने और समय पर स्पष्टीकरण जारी करने की उम्मीद की जाती है।
- **गलत सूचना का मुकाबला:** यह पहल गलत सूचना (misinformation), भ्रामक सूचना (disinformation) और भ्रामक डिजिटल सामग्री की बढ़ती चुनौती को संबोधित करती है, जो जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है, घबराहट पैदा कर सकती है और सरकारी नीतियों के प्रति नागरिकों की समझ को विकृत कर सकती है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय:** बिजली, कृषि और वाणिज्य जैसे विभागों ने पहले ही QRTs का गठन कर लिया है। ये टीमों पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट (PIB Fact Check Unit) के साथ भी तालमेल बिठाएंगी, जिससे आधिकारिक माध्यमों से तथ्यात्मक जानकारी का सत्यापन और प्रसार संभव हो सकेगा।
- **रचनात्मक डिजिटल जुड़ाव:** यह दृष्टिकोण केवल झूठी जानकारी को हटाने से आगे जाता है। यह समय पर सार्वजनिक संचार और रचनात्मक जुड़ाव पर जोर देता है ताकि अफवाहों के व्यापक प्रसार से पहले नागरिकों को आधिकारिक जानकारी प्राप्त हो सके।
- **सुशासन का महत्व:** प्रभावी डिजिटल संचार उत्तरदायी और पारदर्शी शासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। हालांकि, तथ्य-जांच तंत्र को सटीकता, संस्थागत जवाबदेही और संवैधानिक स्वतंत्रताओं, विशेष रूप से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **गलत सूचना (Misinformation):** नुकसान पहुँचाने के इरादे के बिना साझा की गई झूठी या गलत जानकारी।
- **भ्रामक सूचना (Disinformation):** धोखा देने या नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर बनाई या प्रसारित की गई झूठी या हेरफेर की गई जानकारी।

- **फर्जी सामग्री (Fake Content):** मनगढ़ंत, हेरफेर की गई या भ्रामक रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती है।
- **तथ्य-जांच (Fact-Checking):** विश्वसनीय साक्ष्यों और आधिकारिक जानकारी के विरुद्ध दावों को सत्यापित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया।
- **त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team - QRT):** उभरते सूचना संबंधी मुद्दों को तेज़ी से पहचानने, उनका आकलन करने, समन्वय करने और उनका जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष टीम।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार को भी कवर करता है।
- **अनुच्छेद 19(2):** निर्दिष्ट आधारों पर भाषण पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता और मानहानि शामिल हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** इलेक्ट्रॉनिक संचार और साइबर गतिविधियों के कई पहलुओं को नियंत्रित करने वाला मुख्य वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** मध्यस्थों के लिए उचित परिश्रम और शिकायत निवारण दायित्व स्थापित करते हैं और डिजिटल सामग्री शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act):** डिजिटल जानकारी के वैध उपयोगों के साथ डेटा सुरक्षा को संतुलित करने का प्रयास करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।

निष्कर्ष QRTs का निर्माण गलत सूचना से निपटने में रीयल-टाइम सरकारी संचार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। उनकी प्रभावशीलता त्वरित सत्यापन, विश्वसनीय साक्ष्य, पारदर्शी संचार और विभागों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगी, जबकि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वैध आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित न हो।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** QRTs, गलत सूचना (misinformation), भ्रामक सूचना (disinformation), PIB फैक्ट चेक यूनिट, आईटी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021, DPDP अधिनियम 2023, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2)।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-II (Mains GS-II):** ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता, वाक् स्वतंत्रता, डिजिटल संचार और जवाबदेही।
- **मुख्य परीक्षा जीएस-III (Mains GS-III):** साइबर सुरक्षा, सोशल-मीडिया शासन, गलत सूचना और उभरते डिजिटल खतरे।

AUGUST 17, 2026

